

तारीख हुक्म नम्बर अहमकोट हुक्म नम्बर
 ५०६ १०/१९ ५१०५५
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
 पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीरगाडा) मेक्रे प्रेस डूबो १०७११०/१९

पत्रावली पेश हुई अधिकाधिक समय द्वारा
 न्यायिक कार्य समान/बहिष्कार रखने
 से पत्रावली दिनांक खो पैस हो। २०/५/२२

उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक कलक्टर करेड़ा

पत्रावली पेश हुई अधिकाधिक समय द्वारा
 न्यायिक कार्य समान/बहिष्कार रखने
 से पत्रावली दिनांक खो पैस हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक कलक्टर करेड़ा

२५-५-२२ पत्रावली पेश हुई अधिकाधिक समय द्वारा
 न्यायिक कार्य समान/बहिष्कार रखने
 से पत्रावली दिनांक खो पैस हो। २६-५-२२


उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक कलक्टर करेड़ा

२६/५/२२

पत्रावली पेश हुई, अधि० जागी
 उप०, विपक्षीगण अनु० उन्हे रुक
 रोक कर कई अर्था आवाने
 लगवाई गयी अनु० २२ से
 उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
 के आदेश पारित किये जाते हो
 वस्तु अधि० जागी की एकतरफा
 मुनी गयी, राजस्व रेकार्ड का
 अवलोकन किया गया, जागी का
 कार्यवाही पर अन्तर द्वारा श
 विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार कर
 आदेश दिया जाता है कि।

तारीख क्र.म	न्यायालय अप्पड अफिसरी (पु.स. १९/७ ५१५५५) पदेन सहायक कलक्टर हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज करेडा (मीलवाडा) अपपड अफिसरी करेडा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

ग्राम बेल्लिगरेडा प.स. करेडा तह. करेडा
 जिला - मीलवाडा की आ.नं. 7569
 बकवा 24.18 बीघा की मूल वाड
 के निस्तारण तक डायीगण को विवाहित
 आराजिपत में निहित उनके 1/2, 1/2
 एक व हिस्से से जबरन बेइरवल नही
 करे न करावे। डायीगण के 1/2, 1/2
 एक हिस्से में किये जा रहे उपयोग-
 उपयोग में किसी प्रकार की ~~इलाजगी~~
 दरबलन्दाजी बाधा उत्पन्न नही करे
 न अन्य से करावे। विवाहित आराजिपत
 को रदन कय चरीखा कर हस्ततरित
 नही करे। पत्रावली कैसल शुमार
 होकर इन्ही नम्बर से कम हो। व
 पत्रावली मूल वाड के साथ सम्बन्ध हो
 निर्णय कुले न्यायालय में
 हुनाया गया।


 अप्पड अफिसरी पदेन
 सहायक कलक्टर करेडा